

460  
2025

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025

राजस्थान-सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. कैलाश चन्द यादव पुत्र गणपत जाति अहीर निवासी बल्लूपूरा तहसील पाटन जिला सीकर राज0।

-प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार पाटन जिला सीकर राज.।

-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

मुकदमा नम्बर 460/2025  
जीसीएमएस नं0 2025/847

आदेश

दिनांक 30.7.25

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार पाटन एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम बल्लूपूरा पटवार हल्का बल्लूपूरा तहसील पाटन के खाता संख्या 101, 36, 38, 39, 63 में प्रार्थी के पिता का गलत दर्ज नाम "गणपत पुत्र झूथा" के स्थान पर सही व वास्तविक नाम "गणपत पुत्र पन्ना राम" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार पाटन आदेश का भाग समझा जावे।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

मुद्रा

  
(राजवीर सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना

